

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सीकर

Email: Principal.mc.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक: मेडि.कॉलेज/सीकर/संस्था0/2021/13/

दिनांक :05/02 /2021

कार्यालय आदेश


इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक- SKGMC/Estt/2021/60 दिनांक 21.01.21 की अनुपालना में दिनांक 02.02.21 को आयोजित चल-साक्षात्कार द्वारा चयन कमेटी की अनुशंसा पर निम्नलिखित सीनियर रेजीडेंट का चयन कार्यग्रहण तिथि से अधिकतम 01 वर्ष के लिए इस आदेश में वर्णित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	जन्मतिथि	पद	विभाग	अवधि
1.	Dr. Pragya Choudhary	19-07-1987	Senior Resident	OBS&Gynaecology	1 Year

नियुक्ति नियम एवं शर्तें:-

1. सीनियर रेजीडेंट के पद पर चयन एक वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर किया जाता है।
2. जो अभ्यर्थी चयन से पूर्व स्थाई/अस्थायी तौर पर राज्य सेवा में कार्यरत/अन्य संस्थानों में कार्यरत है। उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करना होगा।
3. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को आदेश की दिनांक से 10 दिवस के भीतर कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
4. राजस्थान राज्य सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप नियुक्ति वेतन देय है, तथा अन्य अभ्यर्थियों को राजमैस के नियमानुसार निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा।
5. सीनियर रेजीडेंट के पद पर कार्य पूर्णकालिन रेजीडेंट के रूप में करना होगा जिसके लिए 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश (1 वर्ष में) देय होगा। इसके अतिरिक्त अवकाश लेने पर लिये गये अवकाश की अवधि का कोई वेतन /स्टाईफण्ड एवं अनुभव प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
6. सीनियर रेजीडेंट महिला अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार रेजीडेंसी के दौरान केवल एक बार अधिकतम 6 माह का प्रसूति अवकाश देय होगा।
7. सीनियर रेजीडेंट को स्नातक विद्यार्थियों के अध्यापन/प्रशिक्षण कार्य व अन्य नियमानुसार कॉलेज के एकेडमिक कार्यों/रिसर्च कार्यों में भाग लेना होगा जिसके लिए शिक्षक के रूप में उनके अनुभव की गणना की जावेगी जो भविष्य में अभ्यर्थी के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र में वर्णित रहेगी।
8. चयनित अभ्यर्थी हड़ताल/सामुहिक अवकाश इत्यादि में भाग नहीं ले सकेंगे तथा इन गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से विना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
9. इस पद पर कार्यरत अभ्यर्थी न्यूनतम एक माह की अवधि का अग्रिम नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकेंगे। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का स्ट्राइफण्ड/वेतन राजकोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

12. अभ्यार्थी कार्यग्रहण के समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा सोसायटी में नियोजन हेतु अपात्र घोषित नहीं किया गया है तथा एम.सी.आई./एन.एम.सी. में 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए निरीक्षण में कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है।



प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज
सीकर

क्रमांक: मेडि.कॉलेज/सीकर/संस्था0/2021/13

दिनांक 05/02 /2021

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, राजमेस, चिकित्सा शिक्षा भवन, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् अति निदेशक (प्रशा0) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक, (जन स्वा0) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें, राज0 जयपुर।
4. अधीक्षक, श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, सीकर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष, श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज, सीकर।
6. चयनित सीनियर रेजीडेन्ट।
7. लेखा शाखा कार्यलय हाजा।
8. नोडल अधिकारी, सर्वर रुम को विभागीय साईट पर अपलोड वास्ते।
9. कार्यालय पत्रावली।


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक